



### शिक्षा अधिकार अधिनियम (धारा 4) के अनुसारः

- छह वर्ष के ऊपर के प्रत्येक बच्चे को, जिसे एकूल में प्रवेश न मिला हो या मिला भी हो तो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया हो, उसकी उम्र के अनुसूचिप्रवेश कक्षा में प्रवेश देना होगा।
- अन्य बच्चों के बराबरी के लिए, बच्चे को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।